

भारत ने कथिा ई-वीज़ा शक्तिका वसितार

संदर्भ

गौरतलब है कि 1 अप्रैल, 2017 से देश में एक नई उदारवादी ई-वीज़ा व्यवस्था लागू हो गई है। यह दुनिया भर में भारत की यात्रा की योजना बना रहे 161 देशों के नागरिकों के लिये यह एक खुशी का अवसर है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के उपरान्त अब ऑनलाइन आवेदन करने की नरिधारति अवधतिता भारत में रहने की अवधतिदोनों को एक साथ बढ़ा दिया गया है।

- हालाँकि, यहाँ एक ओर बात के वषिय में गौर करने की आवश्यकता है कि भारतीय राजनयिक मशिनों द्वारा वीज़ा प्रदान करने की परंपरागत प्रक्रिया को भी बंद नहीं किया जाएगा।

महतत्वपूर्ण बढि

- ध्यातव्य है कि ई-वीज़ा की प्रणाली का वचिर बहुत पुराना नहीं है। बल्कि पिछले सात वर्षों से ही यह व्यवस्था चलन में आई है।
- वर्ष 2010 में ही भारत ने पाँच देशों - जापान, सगिापुर, फनिलैंड, लक्समबर्ग और न्यूजीलैंड के नागरिकों के लिये ही आगमन पर पर्यटक वीज़ा (Tourist Visa on Arrival - TVOA) की शुरुआत की थी।
- इसके एक साल बाद ही भारत सरकार ने कंबोडिया, लाओस, वयितनाम, फलिपींस, म्यांमार और इंडोनेशिया के नागरिकों के लिये भी इस योजना का वसितार करने का नरिणय लयि।
- इसके पश्चात् वर्ष 2014 में केंद्र में सरकार के बदलने के बाद इस प्रणाली को काफी बढ़ावा मलि।
- भारत की यात्रा को और अधकि सहज अनुभव बनाने के लिये इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधकिार (Electronic Travel Authorization - ETA) से युक्त आगमन पर पर्यटक वीज़ा (TVOA) की सुवधि 27 सतिंबर, 2014 से शुरु कर दी गई।
- ध्यातव्य है कि टी.वी.ओ.ए-ई.टी.ए. के अंतरगत 9 नामति अंतरराष्टरीय हवाई अड्डों के माध्यम से भारत में प्रवेश के लिये 43 देशों के नागरिकों को ऑनलाइन पूरव प्राधकिार (pre-authorization) प्राप्त था। वदिति हो कि यह एक एकल प्रवेश वीज़ा है, जो 30 दनिों के लिये वैध होगा।

शुरुआती वीज़ा नीति

- हालाँकि, शुरुआत में टी.वी.ओ.ए-ई.टी.ए. का नामकरण भी भ्रम से भरा था। वस्तुतः अनेक पर्यटक यह मानते थे कि वीज़ा हवाई अड्डे पर उतरने पर दिया जाएगा, जसिका परगिाम यह हुआ कि कुछ पर्यटक ऑनलाइन आवेदन कयि बनिा या स्थानीय भारतीय दूतावास से वीज़ा प्राप्त कयि बनिा ही यहाँ आ गए।
- इस समस्त घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए देश की नीतिके अनुरूप एक नए नाम का गठन करने के लिये गृह मंत्रालय, वदिश मंत्रालय और आप्रवासन ब्यूरो (बी.ओ.आई.) के अधकिारयिों की एक समतिकिा गठन कयि है।
- साथ ही Mygov.in पर इस नाम के बारे में एक प्रतयिोगतिा का आयोजन करके "ई-टूरसिट वीज़ा" को सबसे अच्छे वकिल्प के रूप में चुना गया।
- तत्पश्चात् इस योजना को दोबारा ई-टूरसिट वीज़ा (ई.टी.वी.) नाम दिया गया, यह नई वीज़ा नीति 15 अप्रैल, 2015 से प्रभावी हो गई।

ऑकड़ाबद्ध सूचना

- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014, 2015 और 2016 के दौरान वभिन्नि उद्दश्यों के लिये भारत आने वाले वदिशी पर्यटकों की संख्या क्रमशः 7.68 मलियिन, 8.03 मलियिन और 8.90 मलियिन (अनंतमि) थी।
- इनमें से आगमन पर ई-वीज़ा वाले पर्यटकों की संख्या वर्ष 2014, 2015 और 2016 में क्रमशः 0.39 लाख, 4.45 लाख और 10.80 लाख रही।

अन्य महत्त्वपूर्ण पक्ष

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यापार को आसान बनाने, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने तथा वदिशी मुद्रा की आय में वृद्धि करने के लहिाज से 30 नवंबर, 2016 को वीज़ा व्यवस्था को पहले की अपेक्षा अधकि उदार, सरल और तरकसंगत बनाने का नरिणय लयि।
- इसे नई वीज़ा व्यवस्था को अभी हाल ही में 1 अप्रैल से लागू किया गया है। अब ई-वीज़ा में पर्यटक, व्यापार, चकितिसा, रोज़गार, इंटरन वीज़ा और फलिम वीज़ा जैसी कई नई श्रेणयिों को भी स्थान दिया गया है।
- वभिन्नि देशों के कूरूज पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिये अब ई-वीज़ा सुवधि 24 हवाई अड्डों के साथ-साथ 3 बंदरगाहों (कोचीन, गोवा और मैंगलोर) के माध्यम से भारत में प्रवेश के लिये 161 देशों के नागरिकों के लिये उपलब्ध कराई जा रही है।
- गौरतलब है कि बहुत जल्द मुंबई और चेन्नई बंदरगाहों को भी ई-वीज़ा सुवधि के तहत शामिल किया जाएगा।

- ई-वीज़ा योजना के तहत आवेदन की अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है। ताकपर्यटक अपनी यात्रा की योजना को बेहतर ढंग से तैयार कर सकें।
- ई-पर्यटक, ई-व्यापार वीज़ा पर दोहरे प्रवेश तथा ई-चिकित्सा वीज़ा पर तहिये प्रवेश के साथ भारत में रूकने की अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिनों तक कर दिया गया है।
- चिकित्सा के लिये बड़ी संख्या में दलिली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे कुछ भारतीय हवाई अड्डों पर पहुंचने वाले पर्यटकों के लिये अलग से आव्रजन काउंटर और सुविधा डेस्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- ध्यातव्य है कि अब अधिकांश देशों के नागरिक पाँच वर्ष की अवधि के लिये पर्यटन और व्यापार उद्देश्यों के लिये बहु प्रवेश वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। तत्काल जरूरत वाले मामलों में आवेदन के 48 घंटों के भीतर व्यापार और चिकित्सा वीज़ा प्रदान किये जा सकते हैं।
- बायोमेट्रिक नामांकन सुविधा वाले 94वीं भारतीय मशिनों ने 1 मार्च, 2017 से 5 साल के बहु प्रवेश वाले वीज़ा जारी करने शुरू भी कर दिये हैं। बाकी राजनयिक मशिनों में भी आने वाले समय में जल्द ही ऐसा होने की संभावना है।

नष्करष

स्पष्ट है कि ई वीज़ा व्यवस्था से भारत के एक अधिक अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में उभरने की संभावना है। इससे 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को भी बढ़ावा मिलेगा, जिसमें वदेशी नविशकों को अनेकों बार भारत यात्रा करने की जरूरत पड़ेगी। यह योजना डिजिटल इंडिया के वज़िन के भी समरूप है। इस कदम से राजनयिक मशिनों का मैनुअल भार भी कम होने की संभावना है। मशिनों की वीज़ा खडिकयिँ उन पर्यटकों के लिये खुली रहेंगी, जो ऑफलाइन की पद्धति से आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के वभिन्न देश ई-वीज़ा वकिल्प के मार्ग को चुन रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारत ने समय के अनुसार कदम उठाने का नरिणय लिया है जो कएक प्रशंसनीय कदम है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/india-expands-e-visa-power>

